# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162

E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: http//ceomadhyapradesh.nic.in


क्र. 40/2012/3/2681 भोपाल,दिनांक 24/4/2012

प्रति,

कलेक्टर
एंव जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त (मध्यप्रदेश)

विषयः–फोटो निर्वाचक नामावली, फोटो परिचय पत्र एव बीएलओ रजिस्टर के देयकों के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– 1. इस कार्या. के आदेश क्र. 08/2012/3/3524 दिनांक 19.7.2011
2. इस कार्यालय का पत्र कमांक 40/2012/3/1506 दिनांक 29/2/2012

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 19.7.2011 को राज्य स्तरीय संस्था के माध्यम से फोटो निर्वाचक नामावली, फोटो परिचय पत्र एव बीएलओ रजिस्टर कार्य कराने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात दिनांक 29.2.2012 को संदर्भित पत्र अनुसार देयक सत्यापित करने के निर्देश दिये गये थे। चूकि यह सम्पूर्ण कार्य आपके द्वारा कराये गये हैं तथा जिसके त्रुटिरहित एवं समय से उपलब्ध होने की पुष्टि आपके द्वारा ही संभव है अतः अब उपरोक्त यह भुगतान आपके द्वारा ही किये जावेगें। राज्य स्तरीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का भुगतान संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जाना है।

2. यहां यह उल्लेखनीय है कि जिलों को इस कार्यालय के पत्र कमांक 1/2/बजट/2012–2013/2465 दिनांक–12.4.2012 एंव 1/2/बजट 2012 – 2013 / 2638 दिनांक 20.4.2012 से बजट आवंटन प्रदाय किया जा चुका है।
3. देयक राज्य स्तरीय संस्था द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में 3 प्रतियों मे भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जावेगें।
4. बी.एल.ओ. रजिस्टर तथा निर्वाचक नामावली कार्यो का व्यय मद 103–निर्वाचक नामावली की तैयारी एवं मुद्रण–22 कार्यालय व्यय—012–मुद्रण एंव प्रकाशन तथा त्रृटिरहित पहचान पत्र का व्यय 108–मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना–22–कार्यालय व्यय–012 मुद्रण एंव प्रकाशन मद में होगा। अतः त्रृटिरहित बी.एल.ओ. रजिस्टर, निर्वाचक नामावली तथा पहचान पत्रों के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय संस्था एमपीएसीडीसी भोपाल से पृथक–पृथक देयक प्राप्त किये जायें।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि एक कार्य के लिये एक से अधिक बार भुगतान न हो अर्थात दोहरा भुगतान न हो इसका उत्तरदायित्व आपका होगा।
6. देयक के साथ राज्य स्तरीय संस्था द्वारा निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायें–
   - राज्य स्तरीय संस्था द्वारा वेण्डर को दिया गया कार्य आदेश
   - राज्य स्तरीय संस्था द्वारा वेण्डर के साथ किये गये अनुबन्ध की प्रति
7. देयकों के भुगतान के लिये अनुमोदित दरों का पत्रक संलग्न है।
8. आदेशों, अनुबन्ध, समय सारणी एवं निर्धारित दरों के अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावे। सभी प्रकार के कटोत्रों आदि के लिये आप अधिकृत हैं।
9. भुगतान के लिये वित्तीय सहिंता के भाग 2 मे आपको पूर्ण अधिकार प्रदत्त हैं।

10.. भुगतान किये गये देयकों की एक छाया प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त भुगतान वित्तीय नियमानुसार दिनांक 10.5.2012 तक सुनिश्चित करें।

23.4.12
(एस.एस.बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

पृ0क्र0 40/2012/3/ 2682 भोपाल,दिनांक 24/4/2012
प्रतिलिपिः–

1. संभागीय आयुक्त (समस्त) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ अग्रेषित।

2. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, 147,जोन–1 महाराणा प्रताप नगर, भोपाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

23.4.12
(एस.एस.बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website: http//ceomadhyapradesh.nic.in

क्र. 40/2012/3/ 1506
प्रति

भोपाल,दिनांक 29.2.2012

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय– राज्य स्तरीय संस्था द्वारा आपके जिले के लिये मतदाता सूची एवं मतदाता फोटो परिचय पत्र इत्यादि का कार्य वेण्डर से कराये जाने के बिलों का भुगतान हेतु सत्यापन करने बाबत्

संदर्भ– इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 8/2012/3/3534 दिनांक 19.7.2011

मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल को राज्य स्तरीय संस्था नियुक्त कर मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र तैयार कराने के लिये अधिकृत किया है। दिये गये कार्य आदेश की प्रति संलग्न है।

राज्य स्तरीय संस्था द्वारा टेण्डर कर कार्य कराने के लिये वेण्डर को नियुक्त कर कार्य आदेश दिये गये है। जिसकी प्रतियां राज्य स्तरीय संस्था द्वारा आपको भेजी गई है। प्राप्त नहीं हुई हो तो राज्य स्तरीय संस्था से प्राप्त कर लें । राज्य स्तरीय संस्था द्वारा जारी कार्य आदेश अनुसार वेण्डर द्वारा कार्य किया गया /कराया जा रहा है। राज्य स्तरीय संस्था द्वारा प्रस्तुत देयक का सत्यापन आपको करना है। कार्य आदेश के अनुसार वेण्डर द्वारा दिये गये देयक का सत्यापन कर देयक को राज्य स्तरीय संस्था को भेजकर इस कार्यालय को सूचित करें । यह ध्यान रहे कि आयोग के निर्देशानुसार कार्य त्रुटिरहित , गुणवत्ता एवं कार्य समय सीमा में पूर्ण किया गया हो,यह भी सुनिश्चित करें तथा राज्य स्तरीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्य आदेश के अनुसार यदि कोई कटौत्रा करना है या फिर शासन की कोई अतिरिक्त राशि इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराने हेतु खर्च हुई है तो प्रस्तुत देयक में कटौत्रा प्रस्तावित करें । देयक में यदि कोई कमी हो तो राज्य स्तरीय संस्था को बताते हुये इस कार्यालय को भी सूचित करें । जब सत्यापन किया जाये तब कार्य आदेश की प्रति भी देयक के साथ संलग्न कर भेजे । परिचय पत्रों की जांच फोटो निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हुई फोटोग्राफ्स से की जावे जो भी संख्या कम हो उसी के अनुसार देयक सत्यापित किया जावे । देयक अंतिम प्रकाशन दिनांक 5.1.2012 तक किये गये नामावली एवं मतदाता फोटो परिचय पत्र 2012 के सत्यापित किये जाने की कार्यवाही दिनांक 10.3.2012 तक पूर्ण कर ली जावे , ताकि इसी वित्तीय वर्ष में बजट का समुचित उपयोग किया जा सके ।

(आर. बी. राठौर)
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
## 17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : ceo-mp@nic.in, Website: http//ceomadhyapradesh.nic.in

क्रमांक 08/2012/3/ 3524 भोपाल, दिनांक 19/7/2011

प्रति,

प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड,
147, जोन–1
महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल

## कार्य आदेश

**विषयः फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 एवं फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कम्प्यूटराजेशन कार्य हेतु राज्य स्तरीय संस्था के रूप में कार्य आदेश प्रदान करने के संबंध में ।**

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 एवं फोटो पहचान पत्र की तैयारी के कम्प्यूटराजेशन के आगामी कार्य किये जाने के संबंध में आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 08.07.2010 में प्राप्त सहमति/स्वीकृति अनुसार आपकी संस्था को निम्नानुसार कार्य आदेश जारी किया जाता है–

1. राज्य स्तरीय संस्था "मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल" द्वारा मतदाताओं के विवरणों की जाँच के निर्धारित रजिस्टर तैयार कर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र क्रमांक म.प्र.रा.ई.वि.नि./मार्केटिंग/निर्वा./2011/786 दिनांक 05.07.2011 में सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए उल्लखित **राशि रूपये 7,00,000/– को अस्वीकृति कर** आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तकनीकी सलाहकार के रूप में इस विभाग के निर्धारित मापदण्ड अनुसार रजिस्टर के तैयार करने के लिए **आवश्यक सॉफ्टवेयर निःशुल्क तैयार करें**।

2. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को निर्धारित रजिस्टर तैयार करने के लिए नियमानुसार निविदा आमंत्रित करने एवं प्राप्त निविदाओं में **न्यूनतम दर पर** चयनित वेण्डर/वेण्डर्स को कार्य आवंटित कर कार्य **समय–सीमा दिनांक 31.07.2011** तक पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। चयनित वेण्डर/वेण्डर्स द्वारा निर्धारित रजिस्टर **(Working Copy)** तैयार न करने पर उनकी जमा धरोहर राशि राजसात किये जाने का प्रावधान निविदा शर्तों में रखा जावे। निविदा शर्तों में जिले की निर्धारित संख्या अनुसार उक्त त्रुटिरहित पूर्ण रजिस्टर संबंधित जिला मुख्यालय में पहुँचाने के पश्चात जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकृत राशि का भुगतान, निर्धारित सर्विस टैक्स राशि एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को **10%** राशि सर्विसेज़ चार्ज का भुगतान राज्य स्तरीय संस्था को किया जावेगा।

3. मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल को आयोग के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 के **प्रारूप प्रकाशन के पूर्व** मतदाता सूचियों को अद्यतन कर एकीकरण करने एवं फोटो निर्वाचक नामावली की एकीकृत सूची की निर्धारित संख्या के मान से मुद्रित प्रतियाँ संबंधित जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराने के कार्य के लिए नियमानुसार निविदाऐं आमंत्रित करने एवं **न्यूनतम दरों पर कार्य को आंवटित**

**करने के लिए अधिकृत किया ।** राज्य स्तरीय संस्था द्वारा सम्पूर्ण कार्य त्रुटिरहित कराने एवं फोटो निर्वाचक नामावली की एकीकृत सूची की निर्धारित संख्या के मान से मुद्रित प्रतियाँ जिलों को जिला मुख्यालय में पहुँचाने के पश्चात जिला कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकृत दर पर भुगतान, निर्धारित सर्विस टैक्स राशि एवं मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का **10%** राशि सर्विसेज चार्ज का भुगतान राज्य स्तरीय संस्था को किया जावेगा।

4. राज्य स्तरीय संस्था के रूप में आपके द्वारा सम्पादित करारनामें की शर्तों के अनुसार फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे/आपत्तियों के कम्प्यूटराजेशन कार्य के जिला स्तर पर वेण्डर के चयन हेतु **दिनांक 18.07.2011** तक निविदा तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराने के लिए आपको पाबंद किया जाता है। इस निविदा में **करारनामें अवधि समाप्ति के उपरान्त समान कार्यों के लिए समान दरों पर आगामी वर्ष में चयनित वेण्डर से आपसी सहमति से कार्य किये जाने की कण्डिका को सम्मिलित** करने के निर्देश भी रखें जावें।

5. फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 के **प्रारूप प्रकाशन के लिए निर्धारित फार्मेट्स 1–8 नियत समय–सीमा दिनांक 28 सितम्बर, 2011 तक तैयार** करने के लिए **राशि 7,49,200/–** (रूपये सात लाख उनन्चास हजार दो) समस्त करों सहित एवं **अंतिम प्रकाशन के लिए निर्धारित फार्मेट्स 1–8 नियत समय–सीमा दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 तक तैयार** करने हेतु स्वीकृत दरों **राशि 4,57,200/–** (चार लाख सत्तावन हजार) समस्त करों सहित पर कार्य किया जाए।

**शर्तें–**

- राज्य स्तरीय संस्था द्वारा निर्धारित रजिस्टर तैयार करने हेतु निशुल्क सॉफ्टवेयर तत्काल तैयार कर चयनित वेण्डर को उपलब्ध कराकर निर्धारित समय–सीमा दिनांक 31.07.2011 तक त्रुटिरहित पूर्ण रजिस्टर संबंधित जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराया जावें।
- वेण्डर को आवंटित कार्य का सुपरविजन, कार्य की क्वालिटी कन्ट्रोल तथा कार्य की मॉनिटरिंग का दायित्व राज्य स्तरीय संस्था का रहेगा।
- स्वीकृत दरों के अनुसार राज्य स्तरीय संस्था को त्रुटिरहित कार्य पूर्ण करना होगा। त्रुटिरहित कार्य का प्रमाण पत्र संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।
- **राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत राज्य स्तरीय संस्था द्वारा त्रुटिरहित कार्य के आधार पर न्यूनतम स्वीकृत दरों पर भुगतान किया जावेगा।**

(मुनिपु द्वारा अनुमोदित)

(सुरेन्द्र कथुरिया)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश